फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री हेमन्त जोशी निवासी बस स्टेण्ड नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 118 / 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी पत्र क्रमांक :— सू0अ0 / 2025 / 121—122 दिनांक 24.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन दिनांक 12.11.2025 के क्रम में प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा पत्रांक सामान्य / आरटीआई / सू0अ0 / 2025 / 109—110 दिनांक 18.11.2025 द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं कार्यालय मुख्य निष्पादन अधिकारी, श्रीनाथ जी मन्दिर मण्डल नाथद्वारा से संबंधित होने से इस आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र को उनके कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम और पत्र के माध्यम से सूचना आवेदनकर्ता को दे दी गई। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील, अपीलार्थी प्रथम सुनवाई के दौरान ही खारिज करना फरमावे।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय मुख्य निष्पादन अधिकारी, श्रीनाथ जी मन्दिर मण्डल नाथद्वारा से संबंधित होने से इस आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र को उनके कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम और पत्र के माध्यम से सूचना आवेदनकर्ता को दे दी गई।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अन्य विभाग से संबंधित होने से तथा वांछित सूचना बाबत प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग को अन्तरण कर अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)